

कार्यपालक
१२/१२/०७

प्रेषक,

उमेश सिंहा,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, मिर्जापुर, झाँसी, चित्रकूट
2. जिलाधिकारी,
बोंदा, चित्रकूट, हर्मारपुर, महोबा, झाँसी, जालौन, ललितपुर, मिर्जापुर,
संत रविदासनगर, सौनभद्र
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लाखनऊ: दिनांक: १२-दिसंबर, २००७

विषय : प्रदेश के सुखाग्रस्त जनपदों में राहत कार्यों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक: १०-१२-०७ को वीडियो कांफेसिंग में उपरोक्त विषय पर दुई विस्तृत चर्चा के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद में सूखे की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में राहत कार्यों व अन्य विकास कार्यों को लिरित गति प्रदान की जाय एवं विशेष रूप से जनपद में निम्न व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाय:-
1- ग्राम व देश स्तर पर रोजगार के सूजन के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं, विशेषकर नरेंगा के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में एक कार्य अवश्य प्रारम्भ कराया जाए।

2- प्रेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नवीन हैण्डप्पों का स्थापन तथा पूर्व में लगे हैण्डप्पों की मरम्मत एवं रिबोर कराकर उनको चालू हालत में रखने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार आपदा राहत निधि से धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश पूर्व में ही दिए गए हैं।

3- जहाँ आवश्यकता हो, उंकर किराये पर लेकर प्रेयजल की व्यवस्था कराई जा सकती है तथा नगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

4- पशुओं के लिए पशु कैम्प तथा पौशाला की व्यवस्था कराई जाए तथा चारा की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाए ताकि आवश्यकता के समय उसका उपयोग हो सके। आवश्यकतानुसार पशुओं का टीकाकरण भी कराया जाय।

5- प्रत्येक ग्राम में ०१ किंवद्दल गेहूं तथा ०१ किंवद्दल चावल का भण्डार आरक्षित कर लिया जाए तथा आवश्यकतानुसार निराश्रित असहाय व्यक्तियों को १५ किं०ग्रा० प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए।

6- सामुदायिक रसोई योजना प्रत्येक ग्राम में लागू की जाय। प्रत्येक गाँव के प्राइमरी पाठशाला में भिड डे मील योजना लागू है। इन गाँवों में निराश्रितों को चयनित कर

- उनको भी मिड डे मील योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से भोजन की व्यवस्था प्रत्येक दिन एक बार कराई जाए।
- 7- प्रत्येक तहसील, जिला कार्यालय, ब्लाक व ग्रामों में सूखा राहत कार्यों की जानकारी देते हुए बोर्ड लगाए जाएँ।
 - 8- आदर्श जलाशय योजना के अन्तर्गत नये तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाना सुनिश्चित करें। कुओं को भी और गहरा करके उपयोग लायक बनाया जाए।
 - 9- सरकारी नलकूप चालू रखे जायें तथा यदि गूल क्षतिग्रस्त हो गये हैं तो उनकी मरम्मत करायी जाय। निजी नलकूपों के लिए भी विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय ताकि वे भी चालू रह सकें।
 - 10- नहरों की सफाई सुनिश्चित किया जाय तथा लिफ्ट कैनाल चालू रखने की व्यवस्था भी किया जाय।
 - 11- पुरुष/महिलाओं/बच्चों के लिए आवश्यक मात्रा में दवाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाय।
 - 12- प्रत्येक जनपद सूखा न्यूनीकरण योजना (District Drought Mitigation Plan) 20 दिसम्बर, 2007 तक तैयार कर लें तथा इसकी व सम्पूर्ण राहत कार्यों की सूचना जनपद के website पर उपलब्ध करा दिया जाय।
 - 13- प्रत्येक जनपद में सूखा राहत हेतु कन्ट्रोल रूम खोल दिया जाये, जो चौबीस घंटे चालू रहे।
 - 14- यह सुनिश्चित किया जाय कि भुखमरी की स्थिति किसी भी दशा में न उत्पन्न हो सके।
 - 15- पूर्व निर्धारित प्रारूप पर दैनिक रिपोर्ट प्रेषित की जाय।
 - 16- कृषि निवेश अनुदान का वितरण 15 दिसम्बर, 2007 तक सुनिश्चित कर इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाय कि कृषि निवेश अनुदान का वितरण समस्त पत्र कृषकों में कर दिया गया है।

कृपया उक्त सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही का अद्यावधिक रिकार्ड सभी जिलाधिकारी अपने पास तैयार रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उच्चाधिकारी द्वारा स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके। आगामी वीडिया कन्फ्रेसिंग में उक्त बिन्दुओं की संभ्यात्मक जानकारी भी प्राप्त की जायेगी।

भवदीय,



(उमेश सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त